महत्वपूर्ण

संख्या-18/2017/727/78-1-2017-66आई0टी0/2017टीसी

प्रेषक,

एम0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीडेस्को, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2017

विषयः- मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु "मुख्यमंत्री हेल्प लाइन" की स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार किए गए आरएफ पीडाक्यूमेंट पर शासन स्तर से विधि विधीक्षण सहित अनुमोदन प्रदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-904/157आरएफपी/3490, दिनांक 10-08-207 पत्र संख्या-904/157आरएफपी/3497, दिनांक 08-08-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु "मुख्यमंत्री हेल्प लाइन" के संचालन हेतु तैयार किए गए आरएफपी डाक्यूमेंट पर न्याय विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर परामर्श देते हुए विचाराधीन आरएफपी में संशोधन करते हुए विधिक अनापित्त व्यक्त की गई है। उक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा भी कतिपय शर्तो के अधीन अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा दिए गए विधिक परामर्श की टीपों पृष्ठ 6 से 8 की छायाप्रति एवं विधीक्षित आरएफपी को मूलरूप में संलग्न करते हुए (वापसी अपेक्षित) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियमानुसार विधीक्षित आरएफपी का प्रकाशन तत्काल कराते हुए वित्त विभाग द्वारा दिये गये निम्न शर्तो के अधीन आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

1- जिस मद से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन के लिए बजट प्राविधान कराने का प्रस्ताव निगम द्वारा किया गया है, उन मदों में पुन: बजट की मांग नहीं की जायेगी।

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए कन्सल्टेण्ट संस्था तथा सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर का भुगतान मद एवं 42-अन्य मद में उपलब्ध बजट की सीमा तक ही योजना संचालित की जायेगी।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित आरएफपी को अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त एवं न्याय विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णयता अनुपालन कर लिया गया है। तदनुसार शासन को तत्काल अवगत कराया जाए।

संलग्नक-यथोपरि। भवदीय,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2017/727(1)/78-1-2017 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।